>

Title : Need to accord special status to Rajasthan under Accelerated Irrigation Benefit Programme.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग काफी समय से की जा रही है ताकि उदार शर्तो पर केन्द्रीय ऋण सहायता की सुविधा ली जा सके। विशेष वर्ग के राज्यों के लिए परियोजनाओं की लागत का 90 प्रतिशत एवं साधारण वर्ग के राज्यों के लिए परियोजनाओं की लागत की 25 प्रतिशत शशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में दी जाती है, अगर राजस्थान को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है तो राज्य के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रमों का संचालन करना असंभव होगा। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष वर्ग के राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। राज्य का 2/3 हिस्सा थार रेगिस्तान व सूखा क्षेत्र है, जहां बार-बार अकाल पड़ते हैं। राजस्थान का काफी हिस्सा जनजातीय क्षेत्र है, भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े होने के कारण भी यह अति संवेदनशील है, राज्य में वर्षा बहुत कम होती है। अतः राज्य के विकास को गति देने हेतु यह अति आवश्यक है कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा एवं उत्तर पूर्वी राज्य की तरह राजस्थान राज्य को भी विशेष दर्जा दिया जाये।